न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या —01/2025 (अपील)
जीसीएमएस न0 2025/2

1. बिरधी बाई पत्नी गजानन्द
2. कंचन बाई पत्नी रामीलाल
   जाति चमार मेघवंशी, निवासीगण ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. जहुर हुसेन पुत्र रहीम बख्श जाति मुसलमान, निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व इंतकाल संख्या 55 दिनांक 13.03.1971 ग्राम अर्जुनपुरा विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा

उपस्थिति
1. श्री सुधीन्द्र यादव, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री भीमसिंह यादव, रामस्वरूप ऋषी अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1

निर्णय

दिनांक— 09.06.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अर्जुनपुरा में पुराने खसरा नम्बर 119 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदार ग्यारसा वल्द लक्ष्मण, नेनगा वल्द पन्ना, तेजा वल्द कंवरिया के समभाग से 1/3, 1/3 हिस्से से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । उक्त भूमि का परगना अधिकारी के आदेश दिनांक 29.9.1970 की पालना में इन्तकाल नं0 55 दिनांक 13.3.1971 से रेस्पोडेन्ट रहीम बख्श वल्द हसन खां के नाम दर्ज किया गया ।
2. अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 13.03.1971 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.12.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है कि ग्राम अर्जुनपुरा में पुराने खसरा नम्बर 119 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदार ग्यारसा वल्द लक्ष्मण, नेनगा वल्द पन्ना, तेजा वल्द कंवरिया के समभाग से 1/3, 1/3 हिस्से से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी, बाद में ग्यारसा वल्द लक्ष्मण का देहान्त हो गया, परन्तु उसका इन्तकाल तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नहीं खोला गया और बगेर ग्यारसा के वारिसान गजानन्द का इन्तकाल खोले ही उक्त भूमि का इन्तकाल सीधे प्रतिवादी कम 1 के पिता रहीम बख्स वल्द हसन खां के नाम गलत तरीके से खोलकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया । जबकि वर्णित भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य की होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि सामान्य श्रेणी के व्यक्ति के खाते दर्ज नहीं की जा सकती थी । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्तनीय है ।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पो0 नं0 1 ओर से श्री भीमसिंह यादव, श्री रामस्वरूप ऋषी अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ, विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम अर्जुनपुरा में पुराने खसरा नम्बर 119 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदार ग्यारसा वल्द लक्ष्मण, नेनगा वल्द पन्ना, तेजा वल्द कंवरिया के समभाग से 1/3, 1/3 हिस्से से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी, बाद में

ग्यारसा वल्द लक्ष्मण का देहान्त हो गया, परन्तु उसका इन्तकाल तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नहीं खोला गया और बगेर ग्यारसा के वारिसान गजानन्द का इन्तकाल खोले ही उक्त भूमि का इन्तकाल सीधे प्रतिवादी कम 1 के पिता रहीम बख्स वल्द हसन खां के नाम गलत तरीके से खोलकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया । वर्तमान में नैनगा भी लाओलाद फोत हो गया एवं ग्यारसा के वारिस गजानन्द की भी मृत्यु हो चुकी है जिसकी वारिस बिरधी बाई है जो वर्तमान में मौजूद है जो अपीलान्ट कम 1 है । इसी प्रकार तेजा भी फौत हो चुका है तथा उनके वारिस रामलाल पुत्र भी फौत हो चुका है व रामलाल की बेवा कंचन बाई मौजूद है जो अपीलान्ट कम 2 है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 566 रकबा 1.96 हे0 कायम किये गये, जो वर्तमान में रेस्पोडेन्ट कम 1 जो कि रहीम बख्स का वारिस है उसके खाते दर्ज है । उक्त भूमि का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा परगना न्यायालय की डिक्री की अनुपालना में खोला जाना बताया गया है, परन्तु परगना न्यायालय का कोई निर्णय व डिक्री रिकार्ड में कहीं पर उपलब्ध नहीं है तथा यह भी स्पष्ट नहीं है कि आखिर यह इन्तकाल किस आधार पर रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा खोला गया । यहां यह भी कहना न्यायोचित होगा कि ग्यारसा जाति से मेघवाल है तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 का पिता रहीम बख्स समान्य श्रेणी का व्यक्ति है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) के अनुसार नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि किसी सामान्य श्रेणी के व्यक्ति के खाते दर्ज नहीं की जा सकती, इसलिए उक्त इन्तकाल जो तस्दीक किया गया वह void ab initio है । पटवारी हल्का द्वारा मृतक ग्यारसा के वारिसान के सम्बन्ध में बगैर जानकारी किये तथा गलत रिपोर्ट पेश कर रेस्पोडेन्ट क 1 के पिता के नाम सीधे उक्त इन्तकाल तस्दीक करवा दिया, जबकि ग्यारसा ने ना तो उक्त भूमि का कभी बेचान किया ना ही कभी किसी के साथ किसी प्रकार का समव्यवहार किया, परन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 के पिता ने रेस्पोउेन्ट कम 2 के साथ सांठगांठ कर किसी निर्णय व डिक्री का हवाला देकर जो रिकार्ड में कहीं उपलब्ध नहीं है गलत तरीके से तस्दीक कर दिया । ग्यारसा के खाते ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में भी कृषि भूमि स्थित थी जिस पर ग्यारसा के देहान्त के पश्चात नियमानुसार उसके वारिसान में गजानन्द के नाम इन्तकाल तस्दीक किया गया तथा राजस्व रिकार्ड में गजानन्द का नाम अंकित किया गया तो इसी प्रकार ग्राम अर्जुनपुरा की भूमि पर भी ग्यारसा के देहान्त के पश्चात उसके वारिस गजानन्द का नाम अंकित किया जाना चाहिए था, परन्तु गजानन्द का नाम दर्ज नहीं कर सीधे ही रेस्पोडेन्ट कम 1 के पिता का नाम गलत तरीके से इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्तनीय है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त इन्तकाल की जानकारी अपीलान्टान को पूर्व में नहीं हो सकी जब वह किसी कार्य से तहसील में गयी तब राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी निकलवाने पर दिनांक 8.11.2024 को जानकारी हुई कि उनके पुश्तैनी भूमि गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट कम 1 के खाते दर्ज हो गयी है, जिस पर उनके द्वारा नकल नामान्तरकरण की दिनांक 4.12.2024 को प्राप्त कर यह अपील जानकारी के तारीख से अन्दर मियाद प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 55 दिनांक 13.3.1971 को निरस्त किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट के पिता ने अपीलान्टगण के पंति से 1965 में रजिस्ट्री से क्रय की गई थी । तथा उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरकरण परगना अधिकारी द्वारा डिक्री दिनांक 21.09.1970 से रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम खातेदारी से दर्ज की गई थी । अपीलान्ट द्वारा यह अपील 53 वर्ष से अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है, जो अत्यधिक मियाद बाहर है, जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांटान को थी, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस भूमि के बाबत नामान्तरकरण नं0 55 के विरूद्व अपील पेश की है । अपील विषयक भूमि के बाबत स्वयं अपीलान्टान बिरधीबाई ने बिरधी बाई बनाम जहूर अहमद के उनवान से एक वाद न्यायालय एसडीओ कोटा में वाद संख्या 60/2014 अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आरटीए का पेश किया था । उक्त वाद में पुराना खसरा नम्बर 119 की 11 बीघा 16 बिस्वा नये खसरा नम्बर 566 की 1.96 हेक्टेयर का हवाला है । उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश करने के पश्चात प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पेश किया गया जिस पर

जिला कलक्टर
कोटा

बिरधी बाई ने उक्त वाद को दिनांक 19.1.2017 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया । इस प्रकार विवादित भूमि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज होने की जानकारी वर्ष 2014 में ही थी । वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी खातेदार गजानन्द मेघवाल से जर्ये रजि0 जमालुद्दीन ने खरीद की थी । जमालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पिता रहीम बख्श ने खातेदारी प्राप्त करने का दावा रहीमबख्श बनाम चमेली बाई बेवा गजानन्द के नाम एक वाद पेश किया जिसमें आपसी सहमति से उक्त भूमि नामान्तरकरण सन 1971 से हीम बख्श के नाम दर्ज रिकार्ड हुई । इन सभी तथ्यों की बिरधी बाई अपीलान्टान को प्रारम्भ से ही है । प्रथम तो यह नामान्तरकरण न्यायालय डिक्री की पालना में खोला गया है, इसलिए प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नहीं है । दुसरा यह कि प्रस्तुत अपील भी 53 वर्ष बाद अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया जो मियाद बाहर होने से अपील खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 13.03.1971 के विरूद्व दिनांक 18.12.2024 को प्रस्तुत की गई है । अपील मियाद बाहर है । मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 08.11.2024 को तहसील में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर होना बताया है । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्टा द्वारा बिरधी बाई बनाम जहूर अहमद के उनवान से एक वाद न्यायालय एसडीओ कोटा में वाद संख्या 60/2014 अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आरटीए का प्रस्तुत किया हुआ था जो बिरधीबाई ने 19.1.2017 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया था, इस प्रकार उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2014 में ही थी । तथा उक्त भूमि जमालुद्दीन ने खरीद की थी, जमालादुन की मृत्यु के बाद उसके पिता रहीम बख्श्य ने खातेदारी प्राप्त करने का दावा रहीम बख्श बनाम चमेली बाई बेवा गजानन्द पेश किया था, जिसमें आपसी सहमति से उक्त भूमि का नामान्तरकरण सन 1971 में रहीम बख्श के नाम दर्ज हुआ थी, जिसकी जानकारी अपीलान्टान को प्रारम्भ से ही थी । इस प्रकार यह तो स्पष्ट हो रहा है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्टान को प्रारम्भ से ही थी, तथा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में प्रथम जानकारी दिनांक 8.11.2024 को होने का जो तथ्य अंकित किया है वह अप्रमाणित होने से स्वीकार योग्य नहीं है । अतः धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के ठोस आधार नहीं होने से खारिज किया जाता है ।

7. प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में तथ्य स्पष्ट हो रहे है कि अपीलान्टान द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में नियमित वाद भी प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण 60/2014 उनवान बिरधी बाई बनाम जहूर अहमद होना बताया है, जिसे भी अपीलान्टान द्वारा नोट प्रेस में खारिज करवा लिया गया है तथा अब यह अपील प्रस्तुत की है जिसका कोई ओचित्य नहीं है । पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण परगणा अधिकारी के मिसल नम्बर 211 निर्णय दिनांक 21.9.1970 की पालना में स्वीकृत किया गया है । नामान्तरकरण खोलने की प्रकिया में कोई त्रुटि नहीं है । अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार योग्य पाते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण परगना अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.9.1971 की पालना में स्वीकृत किया गया है, अपीलान्ट द्वारा इस अपील के जरिये चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है । अपील 53 वर्ष से अधिक समय बाद मियाद बाहर प्रस्तुत होने से मियाद बाहर है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

9. निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा